भारत सरकार
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
संचार भवन, 20 अशोक रोड,
नई दिल्ली - 110001

सं0 842-725/2005-वीएएस/7 दिनांक 06 फरवरी, 2006

सेवा में

एमटीएनएल एवं बीएसएनएल सहित सभी सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा लाइसेंसधारक कंपनियां, जिन्हें 2001 या उसके बाद सीएमटीएस लाइसेंस जारी किए गए।

विषय : 2001 या इसके बाद किए गए सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा लाइसेंस करार में संशोधन।

लाइसेंस की शर्तों को किसी भी समय आशोधित करने संबंधी अधिकार को सुरक्षित रखने के साथ-साथ लाइसेंस करार के खंड 5.1 के अनुसरण में, लाइसेंस प्रदाता प्राधिकारी द्वारा जन हित में या राज्य की सुरक्षा के हित में या सेवा के सुचारू संचालन हेतु सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा लाइसेंस की शर्तों को संशोधित करने का निर्णय एतद्द्वारा लिया जाता है, जैसा कि ब्यौरे संलग्न हैं।

लाइसेंस करार की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

संलग्नक : अनुबंध (7 पृष्ठ)

(ए0के0धर)
सहायक महानिदेशक(वीएएस-I)
दूरभाष सं0 23372069
भारत के राष्ट्रपति की ओर से

प्रति प्रेषित :

1. सचिव, ट्राई
2. वरिष्ठ उपमहानिदेशक (टीईसी)
3. उप महानिदेशक (एलएफ)

अनुबंध

2001 में या इसके बाद जारी सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा (सीएमटीएस) लाइसेंस करारों में संशोधन

<table>
<tr><th>मौजूदा खंड</th><th>संशोधित खंड</th></tr>
<tr><td>
1. लाइसेंसधारक कंपनी का स्वामित्व
1.1 लाइसेंसधारक कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि लाइसेंसधारक कंपनी की कुल विदेशी ईक्विटी, संपूर्ण लाइसेंस अवधि के दौरान किसी भी समय, कुल ईक्विटी के 90% से अधिक नहीं होगी। लाइसेंसधारक कंपनी में भारतीय एवं विदेशी प्रवर्तकों के अपनी-अपनी ईक्विटी धारिताओं का ब्यौरा, जैसा कि लाइसेंस करार पर हस्ताक्षर किए जाने की तिथि को बताया गया है, निम्नवत है :

1.2 भारतीय एवं विदेशी प्रवर्तक (प्रवर्तकों) या उनकी ईक्विटी भागीदारी के संदर्भ में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जब तक कि लाइसेंस प्रदाता द्वारा इस संबंध में लिखित रूप से अनुमति न दी गई हो।

1.3 लाइसेंसधारक कंपनी लाइसेंस प्रदाता के पूर्व लिखित अनुमोदन से किसी भी प्रवर्तक (प्रवर्तकों) के स्थान पर समान या उच्च धारिता वाले प्रवर्तकों को ला सकती है, जैसा कि नीचे विनिर्दिष्ट है :-

(क) मौजूदा विदेशी प्रवर्तक के स्थान पर समान धारिता वाले दूसरे विदेशी प्रवर्तक हो सकते हैं।
(ख) मौजूदा भारतीय प्रवर्तक (प्रवर्तकों) को भी विदेशी प्रवर्तकों की धारिता को अर्जित करने की अनुमति होगी; तथा
(ग) मौजूदा भारतीय प्रवर्तकों के बीच आपस में ईक्विटी के अंतरण की अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते कि अधिकांश भारतीय प्रवर्तक लाइसेंस करार की प्रभाव तिथि से पांच वर्षों की अवधि के लिए कम-से-कम मौजूदा शेयरधारिता को धारण किए रखें । भारतीय कंपनियों के विलय की अनुमति दी जा सकती है यदि प्रतिस्पर्धा पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता हो। लाइसेंस प्रदाता इस संबंध में ट्राई से परामर्श लेंगे।
</td><td>
1. लाइसेंसधारक कंपनी का स्वामित्व
1.क. विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई), अप्रवासी भारतीयों (एनआरआई), विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों (एफसीसीबी), अमेरिकन डिपाजिटरी रिसीट्स (एडीआर), ग्लोबल डिपाजिटरी रिसीट्स (जीडीआर), परिवर्तनीय अधिमान शेयरों, भारतीय प्रवर्तकों/निवेश कंपनियों में तथा उनकी धारणाधिकार (होल्डिंग) वाली कंपनियों में अनुपातिक विदेशी निवेश आदि द्वारा किए गए निवेशों सहित कुल मिश्रित विदेशी धारणाधिकार, जिसे बाद में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहा गया है, 74 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी परंतु यह इनके द्वारा किए जाने वाले निवेश तक सीमित नहीं होगा। इस प्रकार 74 प्रतिशत का विदेशी निवेश प्रचालन कंपनी मे प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अथवा किसी धारणाधिकार वाली कंपनी के माध्यम से किया जा सकता है। अतः बकाया 26 प्रतिशत पर निवासी भारतीय नागरिकों अथवा किसी भारतीय कंपनी का स्वामित्व रहेगा (अर्थात् प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 49 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा और उसका प्रबंधन भारतीय मालिकों का रहेगा) यह स्पष्ट किया जाता है कि 74% की अधिकतम सीमा की दृष्टि से इस प्रकार की भारतीय कंपनी के अनुपातिक विदेशी घटक की गणना भी की जाएगी। तथापि, भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको तथा भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं के कुल धारणाधिकार में विदेशी घटक को "भारतीय धारणाधिकार" के रूप में माना जाएगा । लाइसेंसधारक से यह अपेक्षित होगा कि अर्धवार्षिक आधार पर इस प्रकार के विदेशी धारणाधिकार की स्थिति का खुलासा करे और यह प्रमाणित करे कि विदेशी निवेश 74% की अधिकतम सीमा के भीतर है।

1.(ख) लाइसेंस करार के अनुसार अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) सहित निदेशक मंडल के अधिकांश सदस्य निवासी भारतीय नागरिक होंगे। इन पदों पर निवासी भारतीय नागरिकों की नियुक्ति वास्तविक भारतीय निवेशकों के परामर्श से की जाएगी। वास्तविक निवेशकों की परिभाषा नीचे पैरा छ (ii) में दी गई है।
1.(ग) शेयर धारक करार मे विशेषकर इस शर्त का उल्लेख किया जाएगा कि अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक और सीईओ सहित निदेशक मंडल के अधिकांश निदेशक निवासी भारतीय नागरिक हों और साथ ही उसमें लाइसेंस करार के अनुपालन की शर्तें भी उल्लिखित होंगी।
1.(घ) 49 प्रतिशत तक का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ऑटोमैटिक मार्ग पर जारी रहेगा। लाइसेंसधारक कंपनी/भारतीय प्रोमोटर कंपनियों/निवेशी कंपनियों और उनकी नियंत्रक कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यदि 74 प्रतिशत की समग्र सीमा के अधीन किया जाता हो तो उसके लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) से अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित होगा । निवेश प्रस्तावों को अनुमोदित करते समय एफआईपीबी इस बात का ध्यान रखेगा कि निवेश शत्रु देशों से नहीं आ रहा है।
</td></tr>
</table>

1.4 लाइसेंसध कंपनी यह भी सुनिश्चित करेगी कि : (i) शेयरधारिता में किसी भी प्रकार का परिवर्तन सभी आवश्यक सांविधिक अपेक्षाओं के अध्यधीन होगा। (ii) "कोई भी एकल कंपनी/विधि सम्मत व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से या अपने सहभागियों के माध्यम से अभिगम सेवाएं जैसी बुनियादी, सेल्युलर एवं एकीकृत अभिगत सेवाओं के लिए एक ही सेवा क्षेत्र में एक से अधिक लाइसेंसधारक कंपनियों में पर्याप्त ईक्विटी धारक नहीं होगी। पर्याप्त ईक्विटी का इसमें आशय होगा " 10% या अधिक की ईक्विटी "। प्रवर्तक कंपनी/विधि सम्मत व्यक्ति एक से अधिक लाइसेंसधारक कंपनियों में एक ही सेवा क्षेत्र के लिए अंशधारक नहीं हो सकता। (iii) लाइसेंसधारक कंपनी का प्रबंधन नियंत्रण भारतीय नागरिकों के पास होगा।	1.(ङ) विदेशी निवेश "संवर्धन बोर्ड के निवेशगत अनुमोदन में यह शर्त भी शामिल होगी कि कंपनी लाइसेंस करार का अनुपालन करेगी। 1.(च) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भारतीय कानून के अध्यधीन होगा, न कि किसी अन्य देश/देशों के कानूनों के। 1.(छ) (i) यह सुनिश्चित करने के लिए निवासी भारतीय शेयरों मे कम से कम एक वास्तविक निवासी भारतीय प्रवर्तक द्वारा एक युक्तियुक्त राशि का निवेश किया जाए, ऐसे निवासी भारतीय प्रोमोटर के पास लाइसेंसधारक कंपनी के कम से कम 10% शेयर होंगे। (ii) कंपनी लाइसेंस करार के अनुपालन को अभिस्वीकृति प्रदान करेगी जो कंपनी के संगम ज्ञापन का एक हिस्सा होगा। लाइसेंस करार के किसी भी प्रकार के उल्लंघन का स्वतः ही यह अर्थ होगा कि कंपनी इस संबंध मे अपने कार्यभार को वहन करने में सक्षम नहीं है। लाइसेंस करार के अनुपालन को संस्था के संगम ज्ञापन का एक भाग भी घोषित किया गया है। (iii) मुख्य तकनीकी अधिकारी (सीटीओ)/मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) अनिवार्यतः निवासी भारतीय नागरिक होंगे। लाइसेंसप्रदाता/दूरसंचार विभाग को निवासी भारतीय नागरिकों द्वारा धारित मुख्य पदों को अधिसूचित करने का भी अधिकार होगा। (vi) कंपनी भारत से बाहर किसी व्यक्ति/स्थान को निम्नलिखित सूचना प्रदान नहीं करेगी। (क) उपभोक्ता से संबधित कोई आंकड़ागत सूचना (रोमिंग एवं बिलिंग को छोड़कर) (टिप्पणीः यह सांविधिक रूप से अपेक्षित वित्तीय प्रकृति के खुलासे को प्रतिबंधित नहीं करता है) ; (ख) प्रयोक्ता सूचना (रोमिंग के दौरान भारतीय प्रचालक के नेटवर्क का प्रयोग करने वाले विदेशी उपभोक्ताओं से संबंधित सूचना को छोड़कर); (ग) गैर-प्रकटन करार पर हस्ताक्षर करने पर जो दूरसंचार उपस्कर आपूर्तिदाता/विनिर्माण लाइसेंसधारी कंपनी की अवसंरचना की संस्थापना, प्रवर्तन आदि कार्य उनको छोड़कर उनकी अवसंरचना/नेटवर्क आरेख संबंधी विस्तृत जानकारी। (v) कंपनी द्वारा भारत से बाहर के सेवा प्रदाताओं के साथ रोमिंग करार किए जाने के बाद ऐसे प्रयोक्ताओं की सूची अवश्य प्रदान करनी चाहिए। (रोमिंग के दौरान भारतीय प्रचालक नेटवर्क का प्रयोग करने वाले विदेशी उपभोक्ताओं के संदर्भ में टेलीफोन संख्या)। (vi) कंपनी को अपने उपभोक्ताओं की खोजने योग्य पहचान अवश्य देनी चाहिए। तथापि, विदेशी कंपनियों के रोमिंग उपभोक्ता को सेवा प्रदान करने की स्थिति में, भारतीय कंपनी अपने रोमिंग करार के भाग के रूप में विदेशी कंपनी से रोमिंग उपभोक्ताओं को खोजने योग्य पहचान प्राप्त करने का प्रयास करेगी। (vii) भारत से भारत के भीतर किए जाने वाले किसी कॉल के परियात (मोबाइल एवं लैंडलाइन) को भारत से बाहर किसी स्थान पर नहीं भेजा जाएगा। इस प्रयोजनार्थ घरेलु परिमात के लिए सुविधा प्रदान करने वाले उपग्रहों की अवस्थिति को भारत के बाहर नहीं

152

	माना जाएगा। (viii) लाइसेंसधारी द्वारा किसी अनुरक्षण/मरम्मत हेतु देश से बाहर किसी उपस्कर विनिर्माता या अन्य किसी एजेंसी को कोई दूरस्थ अभिगम (आरए) नहीं प्रदान किया जाएगा। तथापि, आपाती साफ्टवेयर विफलता (बूट अप इत्यादि नहीं करने जैसी विफलता), जिसमें दीर्घावधि के लिए नेटवर्क का बड़ा हिस्सा अकार्यशील हो जाता है, के लिए निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन दूरस्थ अभिगम प्रदान करने की अनुमति दी जा सकती है :- (क) जब दूरस्थ अभिगम (आरए) प्रदान किया जाना हो तो किसी अभिज्ञात सरकारी एजेंसी (आसूचना ब्यूरो) को अधिसूचित किया जाएगा। (ख) दूरस्थ अभिगम्यता पासवर्ड का उपयोग, एक निश्चित अवधि तथा केवल मूल उपस्कर विनिर्माता (ओईएम) विक्रेताओं की पूर्व-अनुमोदित अवस्थिति से अभिगम्यता प्राप्त करने और केवल उन उपस्करों के लिए किया जाएगा, जिनका विशिष्ट रूप से मरम्मत/रखरखाव का कार्य चल रहा है। (ग) दूरस्थ अभिगम्यता का नियंत्रण अर्थात् एक्टिवेशन, आंकड़ों का हस्तांतरण, समाप्ति इत्यादि देश के भीतर ही होगा, देश के बाहर किसी दूरवर्ती स्थान, विदेश में नहीं। (घ) ऑन-लाइन निगरानी करने हेतु लेन-देन दर्ज करने के लिए सरकारी एजेंसी को हर प्रकार की सहायता दी जाएगी। (ङ) किसी भी उपस्कर या सॉफ्टवेयर जो समग्र निगरानी का हिस्सा है, को किसी भी परिस्थिति में दूरस्थ अभिगम्यता की अनुमति नहीं होगी। (च) दूरसंचार विभाग, आपाती सॉफ्टवेयर विफलता, नेटवर्क का मुख्य हिस्सा और दीर्घ अवधि जैसी इस खंड के अंतर्गत प्रयुक्त शब्दावली को ठीक प्रकार से पारिभाषित करेगा। (ix) दूरसंचार विभाग इस बात के लिए स्वतंत्र होगा कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से किसी लाइसेंसधारी कंपनी को किसी भी संवेदनशील क्षेत्र में प्रचालन करने के लिए प्रतिबंधित कर सकता है। (x) 'वॉयस और डेटा' को गुप्त रखने हेतु निगरानी केवल केंद्रीय गृह सचिव या राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के गृह सचिव द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर की जाएगी। (xi) परियात की निगरानी करने हेतु, लाइसेंसधारी कंपनी सुरक्षा एजेंसियों को अपने नेटवर्क की उन्मुक्त अभिगम्यता तथा अन्य सुविधाओं के साथ-साथ खाता बहियां भी प्रदान करेगी।

		(xii) पैरा 1. जी में परिकल्पित लाइसेंस की शर्तों का अनुपालन न करने की स्थिति में कंपनी को दिया गया लाइसेंस रद्द मान लिया जाएगा तथा लाइसेंसदाता को निष्पादन/वित्तीय बैंक गांरटी (गारंटियों) के नकदीकरण का अधिकार मिल जाएगा तथा लाइसेंसदाता किसी प्रकार की हानि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। 1.2 उपर्युक्त पैरा 1ए से 1जी में उल्लिखित शर्तें दूरसंचार सेवा (सेवाओं) का प्रचालन वाली उन मौजूदा कंपनियों पर भी लागू होंगी जिनकी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की उच्चतम सीमा 49% थीं। लाइसेंस करार पर हस्ताक्षर करने की तारीख को लाइसेंसधारी कंपनी में भारतीय और विदेशी इक्विटी होल्डिंग, निम्नानुसार है जैसा कि लाइसेंसधारी कंपनी द्वारा उल्लेख किया गया है :- भारतीय इक्विटी .... विदेशी इक्विटी .... लाइसेंसधारी 1 जनवरी और 1 जुलाई की स्थिति के अनुसार क्रमशः 7 जनवरी और 7 जुलाई तक लाइसेंसदाता के समक्ष उपर्युक्त जानकारी की घोषणा करेगा। इसे लाइसेंसधारी कंपनी के कंपनी सचिव अथवा सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित किया जाना है। 1.3 जब तक प्रतिस्पर्धा पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े भारतीय कंपनियों के विलय की अनुमति दी जाएगी जैसा कि नीचे परिभाषित किया गया है : "कोई एकल कंपनी/वैधानिक व्यक्ति, या तो प्रत्यक्ष रूप से या अपने सहयोगियों के माध्यम से समान सेवा क्षेत्र में अभिगम सेवाओं नामतः बुनियादी, सेल्युलर और एकीकृत अभिगम सेवा के लिए एकाधिक लाइसेंसधारी कंपनी में पर्याप्त इक्विटी होल्डिंग नहीं रखेगा। इसमें पर्याप्त इक्विटी" का अभिप्राय" 10% या उससे अधिक की इक्विटी" से होगा। कोई प्रर्वतक कंपनी/वैधानिक व्यक्ति समान सेवा क्षेत्र के लिए एक से अधिक लाइसेंसधारी कंपनी में स्टेक नहीं रख सकेगा।" टिप्पणी : 11.11.2003 की स्थिति के अनुसार उपर्युक्त खंड 1.3 मौजूदा सीएमटीएस लाइसेंसधारकों पर लागू नहीं होगा तथा उन लाइसेंसधारकों के मामले में जिन्होंने यूएएसएल को अपना लिया है, उन्हें अन्य लाइसेंस वापस करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अतिरिक्त, 11.11.2003 की स्थिति के अनुसार मौजूदा बुनियादी और

154

		सेल्युलर लाइसेंसधारी, समान सेवा क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से या अपने सहयोगियों के माध्यम से नई यूएएसएल के पात्र नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त, कोई वैधानिक संस्था जिसके पास मौजूदा बुनियादी/सेल्युलर लाइसेंसधारी की पर्याप्त इक्विटी हो, नई यूएएसएल के लिए पात्र नहीं होगा। 1.4 लाइसेंसधारी को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि शेयर होल्डिंग में किसी प्रकार का परिवर्तन सभी आवश्यक सांविधिक आवश्यकताओं के अध्यधीन होगा।
2	2.1 लाइसेंसधारी को अपने प्रचालन क्षेत्र में किसी भी प्रकार के नेटवर्क उपस्कर (तथापि, प्रौद्योगिकी डिजीटल होनी चाहिए) जिनमें सर्किट और/या पैकेट स्विच शामिल हैं जो संबंधित अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ/दूरसंचार अभियांत्रिकी केंद्र के मानकों को पूरा करते हों, का इस्तेमाल करते हुए सभी प्रकार की मोबाइल सेवाएं जिनमें ध्वनि और गैर-ध्वनि संदेश, डाटा सेवाएं और पीसीओ की सेवाएं शामिल हैं, प्रदान करने की अनुमति दी जाएगी। बशर्ते कि नई प्रौद्योगिकी का समावेश करने हेतु लाइसेंसदाता द्वारा किसी अवधि हेतु लाइसेंसदाता द्वारा प्रायोगिक परियोजना को भी अनुमोदित किया गया हो और किसी अवधि हेतु तत्संबंधी लाइसेंस दिया गया हो। इसके अतिरिक्त, बशर्ते कि लाइसेंसदाता को स्वयं या नामित प्राधिकारी के माध्यम से भारत में कहीं भी सेवा प्रचालन करने का अधिकार है।	2.1 लाइसेंसधारी को अपने प्रचालन क्षेत्र में किसी भी प्रकार के नेटवर्क उपस्कर (तथापि, प्रौद्योगिकी डिजीटल होनी चाहिए) जिनमें सर्किट और/या पैकेट स्विच शामिल हैं जो संबंधित अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ/दूरसंचार अभियांत्रिकी केंद्र के मानकों को पूरा करते हों, का इस्तेमाल करते हुए सभी प्रकार की मोबाइल सेवाएं जिनमें ध्वनि और गैर-ध्वनि संदेश डाटा सेवाएं और पीसीओ की सेवाएं शामिल हैं, प्रदान करने की अनुमति दी जाएगी। बशर्ते कि नई प्रौद्योगिकी का समावेश करने हेतु लाइसेंसदाता द्वारा लाइसेंसदाता द्वारा किसी अवधि हेतु प्रायोगिक परियोजना को भी अनुमोदित किया गया हो और किसी अवधि हेतु तत्संबंधी लाइसेंस दिया गया हो। इसके अतिरिक्त, बशर्ते कि लाइसेंसदाता को स्वयं या नामित प्राधिकारी के माध्यम से भारत में कहीं भी सेवा प्रचालन करने का अधिकार है। लाइसेंसधारी इंटरनेट टेलीफोनी, इंटरनेट सेवाएं और ब्राडबैंड सेवाएं भी प्रदान कर सकता है। यदि आवश्यक हो, लाइसेंसधारी एनएलडी/आईएलडी सेवा लाइसेंसधारकों के नेटवर्क का भी उपयोग कर सकते हैं। लाइसेंसधारी पूर्णतया मोबिलिटी सेवा के अंतर्गत जब तक कि अन्यथा लाइसेंसदाता द्वारा सलाह/निदेश न दिया गया हो, अपने उपभोक्ताओं को भारत या विदेश में रोमिंग सुविधा प्रदान करने के लिए अन्य सेवा प्रदाता (प्रदाताओं) के साथ करार हस्ताक्षरित करने के लिए स्वतंत्र हैं। 2.1 (ख) लीज्ड सर्किट को बिंदु से बिंदु गैर स्विच वास्तविक कनेक्शनों/पारेषण बैंडविड्थ से अलग सर्किट अथवा पैकेट स्विच्ड (आईपी प्रोटोकॉल) प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने वाली वर्चुअल निजी नेटवर्क के रूप में परिभाषित किया गया है। आम नेटवर्क को लीज्ड सर्किट/सीयूजी के साथ जोड़ा नहीं जाना है। 2.1 (ग) लाइसेंसधारी ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान कर सकता है जिनमें त्रिविध प्ले अर्थात ध्वनि, विडियो और डाटा शामिल हैं। 2.1 (घ) लाइसेंसधारी ऊपर दिए अनुसार, को छोड़ कर सेवा ऐसी कोई अन्य सेवा प्रदान

155

		नहीं कर सकता है जिनके लिए पृथक लाइसेंस की आवश्यकता हो।
3	10.2 लाइसेंसदाता, लाइसेंस की किन्हीं शर्तों के उल्लंघन हेतु उपलब्ध किन्हीं अन्य उपायों के प्रति पूर्वाग्रह रखे बिना लाइसेंसधारी के पंजीकृत कार्यालय पर 60 कलेंडर दिवसों का लिखित नोटिस जारी करते हुए निम्नलिखित किन्हीं स्थितियों के अंतर्गत इस लाइसेंस को समाप्त कर सकता है : यदि लाइसेंसधारी : क) इस लाइसेंस के अंतर्गत किन्हीं दायित्वों का निष्पादन करने में विफल रहता है जिनमें लाइसेंसदाता को देय शुल्क और अन्य प्रभारों का समय पर भुगतान करना शामिल है ; ख) लाइसेंसदाता द्वारा यथा उल्लिखित किसी त्रुटि को निर्धारित समय सीमा के भीतर ठीक करने में विफल रहता है। ग) कारोबार का परिसमापन करता है या कारोबार समेटने का आदेश दिया गया हो। घ) लाइसेंस के शर्तों का अनुपालन न करने पर लाइसेंस समाप्त करने के लिए ट्राई द्वारा सिफारिश किया गया है।	10.2 लाइसेंसदाता, लाइसेंस की किन्हीं शर्तों के उल्लंघन हेतु उपलब्ध किन्हीं अन्य उपायों के प्रति पूर्वाग्रह रखे बिना लाइसेंसधारी के पंजीकृत कार्यालय पर 60 कलेंडर दिवसों का लिखित नोटिस जारी करते हुए निम्नलिखित किन्हीं स्थितियों के अंतर्गत इस लाइसेंस को समाप्त कर सकता है : यदि लाइसेंसधारी : क) इस लाइसेंस के अंतर्गत किन्हीं दायित्वों का निष्पादन करने में विफल रहता है जिनमें लाइसेंसदाता को देय शुल्क और अन्य प्रभारों का समय पर भुगतान करना शामिल है ; ख) लाइसेंसदाता द्वारा यथा उल्लिखित किसी त्रुटि को निर्धारित समय सीमा के भीतर ठीक करने में विफल रहता है। ग) कारोबार का परिसमापन करता है या कारोबार समेटने का आदेश दिया गया हो। घ) लाइसेंस के शर्तों का अनुपालन न करने पर लाइसेंस समाप्त करने के लिए ट्राई द्वारा सिफारिश किया गया है। ङ) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से संबंधित मानदंडों का अनुपालन करने में विफल रहता हो।